

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

संकल्प सं०:- 6230/53 / पटना, दिनांक :- 14/09/2026

संचिका सं०-R-504/34/2025-SECTION 14-RDD-RDD

श्रीमती सुलेखा कुमारी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, आंदर (सिवान) सम्प्रति-महिला प्रसार पदाधिकारी, दानापुर (पटना) के विरुद्ध पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में अनियमितता बरतने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-487 दिनांक-15.05.2025 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया है।

जिला पदाधिकारी, सिवान से प्राप्त आरोप पत्र में वर्णित आरोप पर विभागीय पत्रांक-4280922 दिनांक-01.07.2025 द्वारा श्रीमती सुलेखा कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। दिनांक-29.07.2025 को श्रीमती सुलेखा कुमारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया। जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र में वर्णित आरोप एवं श्रीमती सुलेखा कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-4563370 दिनांक-04.09.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-975 दिनांक-10.12.2025 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्रीमती सुलेखा कुमारी के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र, श्रीमती सुलेखा कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती सुलेखा कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। श्रीमती सुलेखा कुमारी के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जिसकी वृहत एवं गहन जाँच की आवश्यकता है । तदालोक में श्रीमती सुलेखा कुमारी के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त के आलोक में श्रीमती सुलेखा कुमारी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, आंदर (सिवान) सम्प्रति-महिला प्रसार पदाधिकारी, दानापुर (पटना) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु श्री उज्जवल कुमार सिंह, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

एतद् द्वारा श्रीमती सुलेखा कुमारी को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगी ।

अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

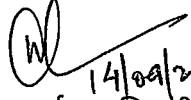
(नलिन प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :- 6230/53 / पटना, दिनांक :- 14/09/2026

संचिका संO- R-504/34/2025-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/09/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :- 6230/53 / पटना, दिनांक :- 14/09/2026

संचिका संO- R-504/34/2025-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, सिवान एवं पटना/उप विकास आयुक्त, सिवान एवं पटना /कोषागार पदाधिकारी, सिवान एवं पटना/ श्री उज्जवल कुमार सिंह, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु)/श्रीमती सुलेखा कुमारी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, आंदर (सिवान) सम्प्रति-महिला प्रसार पदाधिकारी, दानापुर (पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं संबंधित अभिलेख/कागजात की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अनुशासनिक कार्यवाही तुरंत आरंभ कर दें तथा अपना प्रतिवेदन शीघ्र देंगे एवं कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेश फलक संलग्न कर अपना निष्कर्ष तीन प्रतियों में विभाग/सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

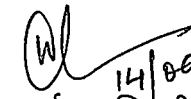
जिला पदाधिकारी, सिवान को पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सरकार का पक्ष रखने हेतु वे जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान को अनुशासनिक कार्यवाही में उपस्थित होने का निदेश देंगे।


14/09/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :- 6230/53 / पटना, दिनांक :- 14/09/2026

संचिका संO- R-504/34/2025-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


14/09/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी